न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/6311

रामचरण पुत्र देवीसिंह रावत,
निवासी– ग्राम पपरेडू तहसील करैरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--आवेदक

श्री विनोद भार्गव एड० द्वारा आज दि० 26-12-17 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 09-01-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. सीताराम,
2. शिवचरण,
3. हरनाम पुत्रगण हरप्रसाद रावत,
4. जसवंत,
5. उत्तमसिंह,
6. शिवसिंह पुत्रगण कीरतसिंह रावत,
7. रामदेही पुत्री हरप्रसाद रावत, समस्त निवासीगणी– ग्राम पपरेडू तहसील करैरा जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--अनावेदकगण

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/2016-17/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 01/11/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
-12-2017

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, आवेदक के भूमि पुराने सर्वे क्रमांक 833, 806, 807 एवं 808 नये सर्वे क्रमांक 970, 972, 959, 964 एवं 962 ग्राम पपरेडू राजस्व मण्डल दिनारा तहसील करैरा जिला शिवुपरी में स्थित है जिस पर आवेदक कास्त करते हुये आधिपत्यधारी चला आ रहा है।

2. यहकि, बंदोबस्त के दौरान बंदोबस्त पूर्व नकशे के अनुसार नकशा निर्मित न करते हुये त्रुटिपूर्ण नकशा निर्मित किया गया इस त्रुटि सुधार हेतु आवेदक ने कलेक्टर महोदय शिवपुरी के समक्ष आवेदन किया हुआ है जो वर्तमान में लंबित है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–एक / निगरानी / शिवपुरी / भू.रा. / 2017 / 6311

रामचरण रावत विरूद्ध सीताराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा, जिला–शिवपुरी के प्र. क्र. 09 / 2016–17 / अ–70 में पारित आदेश दिनांक 01–11–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 3/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	